राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1243/2007/जयपुर.

मैसर्स आवास विकास लिमिटेड, जवाहर नगर, जयपुर. ....अपीलार्थी.

बनाम

1. उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर जयपुर.
2. वाणिज्यिक कर अधिकारी, WC & LT, जोन–I, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री विक्रम गोगरा, अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से.
श्री रामकरण सिंह,
उप–राजकीय अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 07/06/2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 593/आरएसटी/ए/01–02 में पारित किये गये आदेश दिनांक 13.03.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, सम्भाग–प्रथम, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 29 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 29.11.2001 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में पुनः आदेश पारित किये जाने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के अनुसरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रकरण में अधिनियम की धारा 34 के तहत पुनः कर निर्धारण आदेश दिनांक 10.06.2009 को पारित किया जा चुका है, जिसकी प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **(2009) 25 टैक्स अपडेट 59 सहायक आयुक्त हनुमानगढ़ बनाम मैसर्स मोहित ट्रेडिंग** में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में निष्प्रभावी हो जाने से खारिज किये जाने योग्य पायी जाती है।

3. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की अपील निष्प्रभावी (Infructuous) हो जाने से खारिज की जाती है।

4. निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष